न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 485/2025

जीसीएमएस सं. – 2025/613

प्रार्थीगण :	बनाम	अप्रार्थीगण :
1. जीवनराम पुत्र घेवरराम जाति बावरी निवासी खवासपुरा		1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थी की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

दर्ज दिनांक 13/10/2025

निर्णय

दिनांक : 08/12/2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम घोडावट तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर राजस्थान की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खंसरा नम्बर 1035 रकबा 0.6233 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है सबुत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2081 मय नक्शा के संलग्न पेश है। ग्राम घोडावट की सीमा में गै. मु. कटाणी रास्ता खसरा 1038 व प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खंसरा नम्बर 1035 के मध्य खसरा नम्बर 1037 आयी हुई है। प्रार्थी गै.मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से होकर खंसरा नम्बर 1037 मे से होकर अपने खेत खंसरा नम्बर 1035 में आता जाता है। ग्राम घोडावट की सीमा में गै मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से होकर खसरा नम्बर 1037 मे से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में लालस्याही से ए. बी, सी, डी से दर्शाया गया है, संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना–पत्र का अंग माना जावें। ग्राम घोडावट की सीमा में गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 के चिपते पुरब तरफ खंसरा नम्बर 1037 आया हुआ है। गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से खसरा नम्बर 1037 में से वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इस प्रकार प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन कर वादग्रस्त रास्ता राजस्व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रेकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज करवाने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी के अधीन कर्मचारीयो ने दिनांक 09/10/2025 को साफ तौर पर मना कर दिया जबकी वादग्रस्त रास्ता ग्राम घोड़ावट की सीमा में गै मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से वादग्रस्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता है इसलिए प्रार्थी को अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन खंसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता 30 फुट चौड़ा रास्ता घोषित करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 में ग्राम घोडावट की सीमा में गै. मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से खंसरा नम्बर 1037 में से होकर वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी रास्ता 30 फुट चौडा प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 तक आने जाने का सबसे निकटतम व सुलमतम रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी के खेत खंसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु ग्राम घोडावट की सीमा में गै मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से खसरा नम्बर 1037 में से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी, सी, डी रास्ता 30 फुट चौडाई में रास्ता घोषित फरमायें एवं राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के पेश कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु ग्राम घोडावट की सीमा में गै मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 1038 से खंसरा नम्बर 1037 मे से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए. बी. सी. डी 30 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित फरमायें जाने एवं राजस्व ट्रेस नक्शा में रास्ता की तरमीम किया जाने का आदेश जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने न्यायालय में मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/10/2025 प्रस्तुत की जिसके उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार ग्राम घोड़ावट के खसरा संख्या 1035 रकबा 0.6233 हैक्टेयर किस्म बारानी में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1037 रकबा 0.4754 हैक्टेयर किस्म गै मु मगरा राजकीय भूमि में से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता संलग्न नजरी नक्शा एबीसीडीईएफ के मध्य दर्शाये अनुसार लम्बाई 120 मीटरX चौड़ाई 9 मीटर कुल रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि रास्ता के रूप में दिया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

हमने बहस पक्षकारान् बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को अनुसार ग्राम घोड़ावट के खसरा संख्या 1035 रकबा 0.6233 हैक्टेयर किस्म बारानी में आने जाने हेतु मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1037 रकबा 0.4754 हैक्टेयर किस्म गै मु मगरा राजकीय भूमि में से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता संलग्न नजरी नक्शा एबीसीडीईएफ के मध्य दर्शाये अनुसार लम्बाई 120 मीटरX चौड़ाई 9 मीटर कुल रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि रास्ता के रूप में दिया जांना उचित है।

हमने बहस पक्षकारान्, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/10/2025 का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रार्थी को ग्राम घोड़ावट के खसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु अप्रार्थी राजकीय भूमि खेत खसरा नम्बर 1037 मे से होते हुए सबसे निकटतम एवं सुलभतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार रास्ता दिया जाना उचित हैं।

अतः राजस्व ग्राम घोड़ावट के खसरा नम्बर 1035 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1037 में से तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/10/2025 में दर्शाये अनुसार बिन्दु एबीसीडीईएफ कुल क्षेत्रफल 0.1080 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर अनुसार रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.1080 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि की नियमानुसार दुगुनी राशि की गणनाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर, प्रार्थी से चैक/डी.डी. प्राप्त कर राजकोष में जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान डीएलसी दर अनुसार रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.1080 हैक्टेयर की मालियत राशि की नियमानुसार दुगुनी राशि की गणनाकर प्रार्थी से चैक/डी.डी. प्राप्त कर राजकोष में जमा करावे एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

2/12/2025

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी ~~कार्य सरकारी दौरे पर है~~ / अवकाश पर है।
पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 08/12/2025
को पेश हो

08/12/2025

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् अनु.
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
होने से स्वीकार किया जाकर
निर्णय अलग से लिखवाया जाकर
[illegible] किया गया। पत्रावली
फैसला अनुसार रेकार्ड नम्बर से
हो रकं दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)